संख्या– 895 /8–3–16– 64 काम्प/16

प्रेषक,

सदा कान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष,
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. आवास आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद,
   लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉक: 18 जुलाई, 2016

विषयः– सार्वजनिक संस्थाओं के भवन मानचित्रों की स्वीकृति में शुल्कों की रियायत दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

ऐसी चैरिटेबल संस्थाएं जो सार्वजनिक हितों के उद्देश्य से बिना लाभ–हानि के कार्य करती है और जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा–80जी के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई हो, को विकास शुल्क से छूट दिए जाने का प्रस्ताव शासन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में शासनादेश सं0–1305/9–आ–3–98–275 काम्प/97, दिनांक 21 मई, 1998 तथा शासनादेश संख्या–3399/9–आ–3–2002–275 काम्प/97, दिनांक 19 अक्टूबर, 2002 में सार्वजनिक संस्थाओं के भवन मानचित्रों की स्वीकृति में शुल्कों में रियायत दिये जाने का प्राविधान है।

(1) अधिसूचना संख्या–1811/8–3–14–211विविध/13, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 के माध्यम से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 अधिसूचित की गई है। इस नियमावली के नियम 3 (छः) के प्राविधानानुसार जहॉ अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा विकास शुल्क के भुगतान से पूर्ण या आंशिक छूट प्रदान की गई हो, वहॉ विकास शुल्क, छूट की सीमा तक उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

(2) उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–53 में "अवमुक्ति (Exemption)" सम्बन्धी निम्न प्राविधान है :–

"अवमुक्ति–इस अधिनियम में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तो एवं निबन्धनों के अधीन यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, किसी भूमि

अथवा भवन को अथवा भूमि अथवा भवन में किसी वर्ग को इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम अथवा विनियम के सभी अथवा किन्हीं उपबन्धों से अवमुक्त प्रदान कर सकेगी।

अतः इस संबंध में पुनः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा 53 में उपर्युक्त प्रस्तर–3 में वर्णित अवमुक्ति सम्बन्धी प्राविधान के अधीन जनहित में कार्यरत चैरिटेबल व आध्यात्मिक/धार्मिक संस्थाओं, ऐसी चैरिटेबल सार्वजनिक संस्थायें जो महिला संरक्षण गृहों, विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं, कुष्ठ रोग से पीडित व्यक्तियों, मूक, बधिर तथा अन्य लोगों, भिखारियों तथा निःसहाय वृद्व अपाहिज व्यक्तियों के उत्थान के लिए सेवारत संस्थाएं, कुष्ठ रोगियों तथा शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए चिकित्सालयों अनाथालयों के लिए सेवारत संस्थान, शैक्षिक चैरिटेबल एवं चिकित्सा के क्षेत्र में बिना किसी लाभ हानि के सेवारत संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत निर्माण मानचित्रों जिनके द्वारा कोई व्यवसायिक उपयोग न किया जा रहा हो, पर विकास शुल्क की आगणित धनराशि का 35 प्रतिशत जमा कराकर मानचित्र पर स्वीकृति दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। उक्त छूट उन्हीं चैरिटेबल संस्थाओं को अनुमन्य होगी जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा–80जी के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई हो।

भवदीय,

(सदा कान्त) 18/7/16
प्रमुख सचिव